फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती तुलसाकुंवर | **विपक्षी :– श्रीमती ताराकुंवर**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 35/18**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.01.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में पत्थरगढी किया जाने बाबत् कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीयां द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि बंटवाडे की डिक्री से प्रार्थीयां के नाम दर्ज होकर प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थीयां की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीयां एवं विपक्षी के मध्य विवाद बना रहता हैं। चूंकि भूमि की प्रार्थीयां खातेदार हैं व खातेदार को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का पूरा अधिकार हैं। बंटवाडे से प्राप्त भूमि की सीमा को लेकर ही विवाद है इसलिए विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाडा वावडी पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 610/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के पश्चिम दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(अक्षय गोदारा IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.12 12:46:23 IST
Reason: SelfAttested